

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- पंचामत मुख्यालय
मातीसरा

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

338

प्रकरण सं:- 158/17
दिनांक:- 15.6.17

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पांपला खुर्द व भू.अ.नि. — की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामदेवरा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-75 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	रामदेवरा	48	124, 125, 129, 131	किल्लुराराम पि० चैनाराम	किशोरकुमार पि० चैनाराम शेखर खड्कर



Note - प्रार्थी के गाँव किली सरकार/
गैर सरकारी संख्या आदि का
खण्ड इत्यादि बकाया लेने पर प्रार्थना
पत्र प्रार्थी करेगा।
क्रमांक-लो.अदा./2017/
प्रतिलिपि:-
339-41

निर्मल
15/6/17
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 15.6.17

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री किशोरकुमार पि० चैनाराम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

निर्मल
15/6/17
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी